कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना (म0प्र0)

क्र0—961 / संपत्तिकर शाखा / न0पा0नि0 / 2021 सतना, दिनांक 06 / 03 / 2021

संपत्तिकर स्व—निर्धारण हेतु कर योग्य संपत्ति मूल्य के निर्धारण की सूचना

म0प्र0 शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपत्तिकर स्व—निर्धारण हेतु पूर्व प्रभावशील वा0भा0मूल्य अवधारण नियम 1997 को संशोधित कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पत्र असाधारण क्रमांक—359 भोपाल सोमवार दिनांक 28 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित नियमों के अध्याधीन भवन / भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण नियम 2020 निर्मित किये गये है।

एतद् द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संपत्तिकर गणना के प्रयोजन के लिये कर योग्य संपत्ति मूल्य के निर्धारण के लिये बनाये गये नियम मध्यप्रदेश नगर पालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर पालिक निगम सतना क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये संपत्तिकर स्व—निर्धारण हेतु नगर पालिक निगम क्षेत्र का वर्गीकरण, परिक्षेत्रों की दरें, संपत्तिकर की दरें, संपत्तिकर से संलग्न अन्य करो प्रभारों का निर्धारण स्व—निर्धारण की अंतिम तारीख, अंतिम तारीख पूर्व भुगतान पर छूट एवं पश्चातवर्ती भुगतान पर अधिभार एवं प्रकिया शुल्क के निर्धारण का संकल्प माननीय प्रशासक महोदय नगर पालिक निगम सतना के आदेश दिनांक 04.03.2021 के द्वारा पारित किया गया है।

उपरोक्त की विवरणात्मक जानकारी नगर पालिक निगम सतना के बेवसाइट, नगर पालिक निगम सतना के कार्यालयीन सूचना पटल एवं संपत्तिकर शाखा में देखी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को दरो एवं शर्तो के संबंध में आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिक निगम सतना (म0प्र0) में प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित दरे व शर्ते प्रभावशील मानी जावेगी।

(1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः—**

(1) इन नियमों के संक्षिप्त नाम नगर पालिक निगम सतना (भवन / भूमियों के कर योग्य संपत्ति निर्धारण) नियम 2020 है।

(2) ये नियम समाचार पत्र में प्रकाशन के तारीख से प्रवत्त होगे।

(2) **परिभाषायें:—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है म0प्र0 नगर पालिक अधिनियम 1956

(ख) ''नियम'' से अभिप्रेत है म0प्र0 नगर पालिका का (भवन / भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण) नियम 2020 के नियम।

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा।

(घ) ''नगर पालिका'' से अभिप्रेत है। म0प्र0 नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा—7 के अधीन गठित नगर पालिक निगम सतना म0प्र0।

(ड़) ''नगर पालिका अधिकारी'' से अभिप्रेत है नगर पालिक निगम सतना आयुक्त या उसके द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत नगर पालिक निगम सतना का कोई अधिकारी या सेवक।

(च) ''विवरणी'' से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न विवरणी का प्रारुप जिस पर प्रत्येक भवन / भूमि स्वामी द्वारा नगर पालिक निगम सतना नियत तारीख के भीतर संपत्तिकर का स्व—निर्धारण करते हुए संपत्ति कर की राशि नगर पालिक निगम सतना के कोष में जमा की जाएगी।

(छ) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष 2021—22 जो एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा।

(ज) ''आवासीय'' से अभिप्रेत है आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित कोई भूमि या आवादी उपयोग हेतु निर्मित कोई भवन जिसका उपयोग आवासीय प्रयोजन से ही किया जा रहा है परन्तु इसमें ऐसी कोई भवन सम्मलित नही होगा जो निर्मितता आवासीय प्रयोजन से है किन्तु उनका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन से किया जा रहा है।

(झ) ''वाणिज्यिक'' प्रयोजन से अभिप्रेत है ऐसे भवन या भूमि जिनमें किसी भी प्रकार का कारोबार किया जाता है दुकान चलाई जाती है, कारखाना स्थापित है। व्यापार धन्धा किया जाता है या इसी प्रकार की अन्य गतिविधियॉ संचालित होती है या ऐसी गतिविधियों के लिए संरक्षित है।

(ञ) ''भंडार गृह'' से अभिप्रेत है ऐसे भवन जिसमें व्यापार,, निर्माण कारोवार विकय या उपयोग हेतु किसी बस्तु को सुरक्षित रखा जाता है।

(ट) ''निर्मित क्षेत्र'' से अभिप्रेत है भवन / भूमि स्वामी के स्वामित्व के भवन के प्रत्येक तल पर निर्मित क्षेत्र।